जिला–सिवान
न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, सिवान
S.Tr. Case No. 141/ 2024
C.I.S. No. 141/ 2024

सरकार (द्वाराः–नन्हें मियॉ, सूचक)

.....अभियोजन।

बनाम

1. जमील मियॉ, उम्र लगभग 71 वर्ष
2. मुर्तजा मियॉ, उम्र–62 वर्ष
3. सहनवाज, उम्र–41 वर्ष
4. नेजाम अहमद, उम्र–70 वर्ष

सभी ग्राम–हसुआ, थाना–नौतन, जिला–सिवान

. .....अभियुक्त।

थाना	:–	नौतन
थाना काण्ड संख्या	:–	144 / 2019
प्राथमिकी अन्तर्गत धारा	:–	147,148,149,323,324,307,342,504,34 भा0द0वि0
संज्ञान अंतर्गत धारा	:–	147,148,149,341,323,307,504 भा0द0वि0
अभियोजन की ओर से	:–	श्री रंजन कुमार श्रीवास्तव (अपर लोक अभियोजक)
अभियुक्त की ओर से	:–	श्री शशि रंजन सिंह (अधिवक्ता)

निर्णय की तिथि :– 08.07.2026

उपस्थित :– उमा शंकर
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्
सिवान।

नि र्ण य

1. उपरोक्त अभियुक्त जमील मियॉ, मुर्तजा मियॉ, सहनवाज एवं नेजाम अहमद धारा 147, 148, 323 / 149, 341 / 149, 307 / 149, 504 / 149 भा0द0वि0 में वर्णित अपराध के आरोप के विचारण का सामना कर रहे हैं।

2. अभियोजन मामला संक्षेपतः इस प्रकार है कि दिनांक 09.09.2019 सुबह लगभग 06:00 बजे सूचक एवं अन्य लोग तजिया का अखाड़ा निकाल कर गॉव में घुमा रहे थे, इसी बीच सहनवाज आलम, सरफराज अहमद, सजरे ईमाम उर्फ भोला, अलिमाम मियॉ, मृतुजा मियॉ, नेयाज अहमद, जमिल अख्तर, आसिम राजा उर्फ टिपु गाली गलौज देते हुए हाथ में लाठी, डंडा, फरसा, राड़ लेकर पहुॅच गये और ताजिया रखने वाली चौकी तोड़ने लगे। मना करने पर सहनवाज आलम जान मारने की नियत से फरसा से सूचक के सिर पर मारा जिससे सूचक का सिर फट गया। सरफराज अहमद ने भी सूचक के सिर पर फरसा से मारा। बीच बचाव करने सूचक के पिता मुस्तफा मियॉ, दादा मखन मियॉ पहुॅचे तो उन्हें भी लाठी, डंडा से मारकर सभी लोग घायल कर दिये। हल्ला सुनकर आसपास के लोग पहुॅचे तो सभी लोग भाग गए।

3. सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर नौतन थाना काण्ड संख्या 144 / 2019, दिनांक 09.09.2019 धारा 147,148,149,323,324,307,342,504,34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दर्ज किया गया और अनुसंधानकर्ता ने उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध घटना को सत्य पाते हुए

धारा 147,148,149,341,323,307,504,34 भा0द0वि0 के तहत आरोप–पत्र समर्पित किया।

4. विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सिवान द्वारा दिनांक 07.11.2019 को धारा–147,148,149,341,323,307,504,34 भा0द0वि0 के तहत अपराध एवं मामले का अभियुक्तों के विरूद्ध संज्ञान लेते हुए वाद को दौरा सुपुर्द किया गया है।

5. दिनांक 07.05.2025 को उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा–147,148,149,341,323,307,504,34 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप का गठन कर उन्हे सुनाया गया, जिससे इन्कार करते हुए उन्होंने वाद विचारण का दावा किया।

6. अभियुक्तों का धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान दिनांक 02.02.2026 को पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों ने सफाई बयान में स्वयं को निर्दोष होने का अभिकथन किया है।

7. प्रस्तुत मामले में न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए उपरोक्त आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है ?

<u>मन्तव्य</u>

8. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले के समर्थन में कुल 02 साक्षियों का परीक्षण कराया गया है, जो निम्नलिखित हैंः– अभियोजन साक्षी संख्या–1. पारस नाथ शर्मा, अभियोजन साक्षी संख्या–2. नन्हें मियॉ उर्फ नन्हें अली है।

अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में लिखित आवेदन पर सूचक के हस्ताक्षर को प्रदर्श 1 के रूप में साबित किया गया है।

9. बचाव पक्ष द्वारा अपने प्रतिरक्षा में किसी प्रकार का मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. **<u>अभियोजन साक्षी संख्या 01 पारस नाथ शर्माः</u>**– इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कहा है कि घटना के बारे में कुछ नहीं जानता हूॅ। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था। मै सभी अभियुक्तों को पहचानता हूॅ। अभियोजन पक्ष के निवेदन पर इन्हें पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है। इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण से अभियोजन कोई ऐसी बात नहीं प्राप्त कर सका है, जो किसी भी प्रकार अभियोजन वाद को कोई समर्थन या बल प्रदान करता हो।

प्रतिरक्षा में पुछे गए प्रश्न के उत्तर में इस साक्षी ने कहा है कि मुदई और मुदालह खास पट्टीदार है। मै आज अपने स्वेच्छा से बिना जोर दबाब के गवाही दे रहा हूॅ। मै सभी मुदालहगण को गॉव के होने के नाते पहचानता हूॅ।

11. **अभियोजन साक्षी संख्या 02– नन्हें मियॉ उर्फ नन्हें अली (सूचक)**:–इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना पॉच–छः साल पहले की है। समय 6–7 बजे की है। मेरे दरवाजे पर चार आदमी सहनवाज, जमील अख्तर, नियाज अहमद और मुर्तजा से धक्का मुक्की हुआ। धुक्का मुक्की जमीन को लेकर हुई थी। धक्का मुक्की में मै गिर गया था। मुझे कैसे चोट लगी? मै नहीं बता सकता हूॅ। साक्षी ने लिखित आवेदन पर अपने हस्ताक्षर को प्रदर्श–1 के रूप में साबित किया है तथा सभी अभियुक्तों को पहॅचानने का दावा किया है।

प्रतिरक्षा में पुछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा है कि मुदालहगण मेरे खास पट्टीदार है। हमलोगो के बीच जमीन को लेकर बकझक हुआ था। उसी में मै गिर गया था और मुझे चोट लग गई थी। थाना पर दोनो पक्ष ने लिखित आवेदन दिया था। मैने आवेदन नहीं लिखा था। लिखित आवेदन पर मेरा सिर्फ हस्ताक्षर है। कौन किसे धक्का दिया? मैने नहीं देखा था। जमीन का विवाद पंचों द्वारा सुलझा दिया गया। मुदालहगण मेरे खास पट्टीदार है, इसकारण इन्हें मै पहॅचानता हूॅ। आज मैने जो भी बयान दिया है, वह स्वेच्छा से बिना किसी जोर दबाब के दिया हूॅ।

12. अभियोजन द्वारा इस वाद में कुल 02 मौखिक साक्षियों का परीक्षण कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या एक को अभियोजन पक्ष के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। उक्त साक्षी ने पुलिस के समक्ष बयान नहीं होने की बात बताई है। साक्षी सं02 , जो मामले के सूचक है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि धक्का मुक्की में मै गिर गया था। मुझे कैसे चोट लगी? मै नहीं बता सकता हूॅ। मैने आवेदन नहीं लिखा था। लिखित आवेदन पर मेरा सिर्फ हस्ताक्षर है। कौन किसे धक्का दिया मैने नहीं देखा था। जमीन का विवाद पंचों द्वारा सुलझा दिया गया है। मुदालहगण मेरे खास पट्टीदार हैं, इसकारण इन्हें मै पहॅचानता हूॅ। उक्त तथ्यों के विश्लेषण से अभियोजन मामला स्वाभाविक रूपेण संपोषित प्रतीत नहीं होता। पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अभियोजन द्वारा मामले के अनुसंधानक एवं डाक्टर का साक्ष्य नहीं कराया गया है। **"मुन्ना लाल बनाम उत्तर प्रदेश"** में दिनांक 24 जनवरी 2023 को पारित निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि "Non-examination of Investigating Officer creates a material lacuna in the effort of the prosecution to nail the appellants, thereby creating reasonable doubts in the prosecution case." प्रस्तुत मामले में अनुसंधानक का परीक्षण नहीं कराया गया है जो अभियोजन मामले को तात्विक रिक्तिता प्रदान करता है।

13. उपरोक्त तथ्यों की विवेचना से स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष अपने द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के माध्यम से अभियोजन मामले को संदेह के परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। विवेचित साक्ष्यों की समग्रता के आलोक में अभियोजन साक्षियों द्वारा दिये गये बयान की गुणवत्ता एवं स्वीकार्यता विधिमान्य कसौटी पर खरी प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त विश्लेषित तथ्यो के आलोक में न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रस्तुत वाद में विचारण का सामना कर रहे

अभियुक्तों के विरूद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा 147, 148, 323/149, 341/149, 307/149, 504/149 भा0द0वि0 को अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है। तद्नुसार

आदेश

उपरोक्त अभियुक्त जमील मियॉ, मुर्तजा मियॉ, सहनवाज आलम एवं नेजाम अहमद धारा 147, 148, 323/149, 341/149, 307/149, 504/149 भा0द0वि0 के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तों को स्वतंत्र एवं उनके जमानतदारों को बंध–पत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है। नियमानुसार अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

(उमा शंकर)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्
सिवान।
दिनांक : 08.07.2026

यह निर्णय मेरे द्वारा लेखापित कराया गया तथा शुद्धिकृत एवं हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

(उमा शंकर)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्
सिवान।
दिनांक : 08.07.2026